देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इंदौर – 452 001

अतिआवश्यक

पृ.पत्र क्र. प्रशा./आ.आचार संहिता/2024/331 दिनांक 08 MAY 2024

विषय :– आदर्श आचार संहिता–विज्ञापनों का प्रकाशन–तत्संबंधी।

सन्दर्भः– उ.शि.वि.के पत्र क्र. 660/1940623/2024/38–2 दिनांक 06.05.2024.

प्रति,

1. विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख,समस्त अध्ययनशालाऐं /संस्थान/देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर, खंडवा रोड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2. प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक/अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय से संबंद्ध समस्त शासकीय महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय इन्दौर/धार/झाबुआ/खण्डवा/खरगोन/बडवानी/अलीराजपुर/ बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. विभागाध्यक्ष, आय.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न–छायाप्रति मय सहपत्रों सहित।

कुलसचिव

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/ 660 /1940623/2024/38-2 भोपाल दिनांक 06/05/2024

प्रति,

1. समस्त कुलसचिव
   शासकीय/निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक
   उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. समस्त प्राचार्य,
   शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय:-आदर्श आचार संहिता-विज्ञापनों का प्रकाशन-तत्संबंधी।

------0-----

उपरोक्त विषयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 1495/1988067/2024/1/4, दिनांक 22/04/2024 की छायाप्रति मय सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि आदर्श आचार संहिता-विज्ञापनों का प्रकाशन के संबंध में निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 06/05/2024

पृ.क्रमांक/ 661 /1940623/2024/38-2

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल।
3. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. गार्ड फाईल
   की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर
आवक क्र. 376
दिनांक 7 MAY 2024

R-2017166/2024/38-2
3-5-2024

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक: 1495 / 1988067 / 2024 / 1 / 4 भोपाल,दिनांक 28 / 04 / 2024

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
3. समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश।

OSD(MA)

30.04.2024

विषय: आदर्श आचार संहिता–विज्ञापनों का प्रकाशन– तत्संबंधी।

उपरोक्त विषयक वरिष्ठ प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 437 / 6 / अनु. / ईसीआई / प्रकार्या. / एमसीसी 2024 (विज्ञापन), दिनांक 02 जनवरी 2024 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ कृपया भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय के पत्र में उल्लेखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार ।

(अनिल सुचारी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक 1 / 1988067 / 2024 / 1 / 4 भोपाल,दिनांक / 04 / 2024

प्रतिलिपि:-

1. वरिष्ठ प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय निर्वाचन सदन, अशोका रोड नई [illegible] उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. [illegible] मंत्रालय भोपाल

[illegible] भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय, नई दिल्ली के उपरोक्त पत्र की प्रति सहित

सचिव
मध्यप्रदेश शासन

स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 437/6/अनु./ईसीआई/एकार्या./एमसीसी/2024(विज्ञापन) दिनांक: 2 जनवरी, 2024

सेवा में,

(i) सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य सचिव

(ii) सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय:- आदर्श आचार संहिता - विज्ञापनों का प्रकाशन - तत्संबंधी।

संदर्भ: आयोग के अनुदेश:

(i) सं. 437/6/28/2004/पीएलएन-III, दिनांक 29.09.2004

(ii) सं. 437/6/2004-पीएलएन-III, दिनांक 24.12.2004

(iii) सं. 3/9/2007/जेएस-II, दिनांक: 03.08.2007

(iv) सं. 437/6/अनु./2009-सीसीएण्डबीई, दिनांक 23.02.2009

(v) सं. 437/6/अनु./2008-सीसीएण्डबीई, दिनांक 13.04.2009

(vi) सं. 437/6/सीजी/2013/सीसीएण्डबीई, दिनांक 0[illegible].10.2013

(vii) [illegible]

(viii) [illegible]

(ix) सं. 437/6/1/2014/सीसीएण्डबीई, दिनांक 01.04.2014

[illegible]

(xi) सं. 437/6/1/ईसीआई/अनु./एकार्या./एमसीसी/2021, दिनांक 1[illegible].0[illegible].2021

[illegible]

[illegible] में समय-समय पर विभिन्न अनुदेश जारी किए हैं। उपर्युक्त संदर्भगत पत्रों के जरिए जारी किए गए [illegible]

(क) राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के पैरा [illegible] - सत्तारूढ़ दल-के उप-पैरा (iv) में यह उपबंध है:-

"सत्तारूढ़ दल, चाहे वह केन्द्र में हो या संबंधित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी किसी भी शिकायत का कोई कारण न उत्पन्न हो कि उसने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजन के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग किया है और विशेष रूप से:

[illegible] समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में [illegible] राजकोष की लागत पर विज्ञापन जारी करने तथा सत्तारूढ़ दल की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राजनैतिक समाचारों की पक्षपातपूर्ण कवरेज एवं उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान आधिकारिक मास मीडिया के दुरुपयोग से ईमानदारी से बचा जाना चाहिए।

(ख) सरकार द्वारा लगाए गए उन सभी होर्डिंग्स, विज्ञापनों आदि को प्रदर्शित करने की अनुमति दी जा सकती है, जिनका उद्देश्य परिवार नियोजन, सामाजिक कल्याण योजनाओं इत्यादि के संबंध में जनसमूह को सामान्य जानकारी प्रदान करना या सामान्य संदेश देना है। हालांकि, वे सभी होर्डिंग्स, विज्ञापन आदि जो किसी मौजूदा (Living) राजनीतिक पदधारी या राजनीतिक दल की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं या उनका दावा करते हैं और जिन पर उनकी फोटो या नाम या दल का प्रतीक है, उन्हें तत्काल हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी राजनीतिक पदधारी या राजनीतिक दल और स्वयं की प्रशंसा करने या अपनी या किसी राजनीतिक नेता की व्यक्तिगत छवि को सुधारने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता है और ना ही सरकारी राजकोष से व्यय या व्यय को अधिकृत कर सकता है। निःसंदेह, ऐसे होर्डिंग इत्यादि सार्वजनिक लागत पर उनका व्यक्तिगत/दलीय निर्वाचन प्रचार के [illegible] [illegible] ऐसे विज्ञापन से सम्बन्धित [illegible] के फोटो को उचित रूप से हटाया/ढका [illegible] जाना चाहिए। सरकारी खजाने की लागत पर ऐसे होर्डिंग्स और विज्ञापनों का निरंतर प्रदर्शन, [illegible]

किया गया हो, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है क्योंकि यह सत्तारूढ़ दल को अनुचित लाभ [illegible]

[illegible]

कवरेज एवं उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान आधिकारिक मास मीडिया के दुरुपयोग से ईमानदारी से बचा जाना चाहिए।

सार्वजनिक भवनों, बिजली एवं टेलीफोन के खंभों, नगरपालिका/स्थानीय निकायों के भवनों [illegible]

(i) किसी भी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के परिसरों में निर्वाचन संबंधी पोस्टरों, होर्डिंग्स, बैनरों इत्यादि को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है, चाहे वह कमर्शियल स्थान ही क्यों न हो। निर्वाचन अवधि के दौरान सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कमर्शियल स्थानों का उपयोग राजनैतिक विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

(ii) यदि पीएसयू के उप-नियमों में, या विज्ञापन एजेंसियों के साथ उनके करारों में, जिन्हें वे विज्ञापन के लिए जगह देते हैं, राजनीतिक विज्ञापनों के प्रदर्शन पर रोक लगाने हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं है, तो पीएसयू को कमर्शियल विज्ञापन लगाने के लिए विज्ञापन एजेंसी को पट्टे [illegible] पर स्थान प्रदान करते समय कमर्शियल एजेंसियों/कंपनियों के साथ अपने कमर्शियल करारों में एक धारा जोड़ने का अनुदेश दिया जा सकता है कि "कोई भी राजनैतिक विज्ञापन आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान कमर्शियल विज्ञापन के लिए पट्टे पर उपलब्ध कराए गए स्थान जैसे हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशनों, अंतर राज्य/स्थानीय बस स्टैण्डों, सरकारी परिवहन, डाक घरों, सरकारी अस्पतालों/डिस्पेंसरी इत्यादि (प्रमुख राजमार्गों, प्रमुख सड़कों आदि को छोड़कर) पर प्रदर्शित नहीं किए/चिपकाए नहीं जाएंगे।"

(iii) सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों के स्वामित्व/नियंत्रण वाले हॉल/ऑडिटोरियम/बैठक स्थलों के मामले में यदि उनके उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानून/दिशा-निर्देशों में राजनैतिक बैठकों पर रोक नहीं लगाई गई है तो ऐसी बैठकों पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आबंटन सामान्यतः के आधार पर किया जाए और किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों द्वारा एकाधिकार स्थापित न किया जाए। ऐसे स्थानों पर लागू करना/दिशा निर्देशों के अनुसार किसी रोक के अधीन रहते हुए बैठकों की अवधि के दौरान बैनर/कटिंग/झंडे/कटआउट को प्रदर्शित करने की अनुमति दी जा सकती है। बैठक के समापन के तुरंत बाद और किसी भी परिस्थिति में बैठक की समाप्ति के बाद उपयुक्त अवधि से परे बैनरों/झंडों इत्यादि को उस राजनैतिक दल/व्यक्ति द्वारा, जिसने उस परिसर का उपयोग किया था, [illegible] को स्थायी/अर्धस्थायी रूप से लगा रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के [illegible] जाए।

[illegible]

अवधि के दौरान रेडियो पर निर्वाचन संबंधी सामग्री का [illegible] प्रसारण

[illegible]

इस प्रयोजन के लिए 'अन्य समान उपकरण' के रूप में माना जाएगा तथा इसलिए रेडियो [illegible]

IV. विश्व पर्यावास दिवस, पल्स पोलियो/एचआईवी जागरूकता अभियानों एवं विभिन्न 'दिवस' जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, राज्य स्थापना दिवस इत्यादि जैसे अवसरों के संबध में विज्ञापनों का प्रकाशन

(i) आयोग को लोक सभा/राज्य विधान सभाओं के साधारण/उप-निर्वाचनों के रन-अप के दौरान, जब आदर्श आचार संहिता लागू हो, विश्व पर्यावास दिवस, पल्स पोलियो [illegible] जागरूकता अभियानों इत्यादि के अवसरों पर विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए [illegible] सामाजिक [illegible] के लिए [illegible] से [illegible] प्राप्त होते हैं। [illegible] आयोग की मंशा कभी नहीं है। आयोग तो केवल मुद्दा पर विज्ञापनों के प्रकाशन पर आपत्ति करना आयोग की मंशा कभी नहीं है। आयोग तो केवल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सत्तारूढ़ दल सामाजिक संदेश फैलाने की आड़ में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग न करें, जो एक समान अवसर प्रदान करने की भावना के विरुद्ध है और इस प्रकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन की भावना का उल्लंघन करता है। अतः भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रुख अपनाया है कि ऐसे विज्ञापनों को जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी <u>यदि उनमें किसी मंत्री/राजनैतिक पदाधिकारियों की फोटो या राजनैतिक संदेश समाहित नहीं है और दल की उपलब्धियों को उजागर नहीं किया गया है</u> जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

(ii) स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, शिवाजी जयंती एवं राज्य स्थापना दिवस जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन बहुत धूम-धाम से मनाए जाते हैं जिनमें केन्द्रीय/राज्य मंत्री भाग लेते हैं, जो समय-समय पर ऐसे अवसरों को सत्तारूढ़ दल या निर्वाचन लड़ने वाले उनके राजनैतिक पदाधिकारियों की उपलब्धियों को उजागर करके राजनैतिक लाभ प्राप्त करने [illegible] [illegible] निर्णय लिया [illegible] [illegible] परिवर्तित कर दी जाए जो उस मंच (फोरम) को राजनैतिक अभियान के लिए प्लेटफार्म में परिवर्तित कर दे।

[illegible]

[illegible] किया जाता है।

[illegible] कार्ड के बारे में जानकारी प्रदान करना है। योजना या प्राधिकरण या सरकार की उपलब्धियों [illegible]

[illegible]

V. लाभार्थी कार्ड, बिजली बिल, निर्माण स्थल फ्लैक आदि पर राजनीतिक पदाधिकारियों की फोटो प्रदर्शित करना।

(i) आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान लाभार्थियों को वितरित किए गए लाभार्थी कार्ड, निर्माण स्थल पर लगाई गई फ्लैक्स इत्यादि में मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों की फोटो, संदेश नहीं होंगे। हालांकि, आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले वितरित/निर्मित लाभार्थी कार्डों, निर्माण स्थल पर फ्लैक्स आदि पर राजनीतिक पदाधिकारियों की [illegible]

(ii) आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद [illegible] किए जाने बिजली बिल, [illegible] बिल, बोर्डिंग पास, टीकाकरण प्रमाणपत्र आदि में राजनीतिक पदाधिकारियों/दलों की कोई फोटो या संदेश/प्रतीक नहीं होना चाहिए।

(iii) इसी प्रकार, आदर्श आचार संहिता लागू होने वाले क्षेत्रों में प्रयुक्त किए जाने वाले उर्वरक बैग, पेपर कप या किसी अन्य सामान में राजनीतिक पदाधिकारियों/दलों की कोई फोटो या संदेश/प्रतीक नहीं होने चाहिए।

VI. गैर-निर्वाचन वाले राज्यों के उन समाचार पत्रों में केंद्र सरकार के किसी भी विज्ञापन का प्रकाशन, जिनका प्रसार निर्वाचनरत राज्यों में है

(i) यह देखा गया है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां के समाचार पत्रों के संस्करणों में कुछेक गैर-निर्वाचन वाली राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की कल्याणकारी [illegible] प्रकाशित किए जाते हैं। आयोग [illegible]

(ii) आयोग ने निर्देश दिया है कि आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान [illegible] प्रसार वाले समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए [illegible] जाने वाले से पहले मंजूरी के लिए आयोग को [illegible]

(iii) यदि उपर्युक्त [illegible]

[illegible]

करता है तो कड़ाई से कानून के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार तथा इस विषय पर न्यायालयों के आदेश, यदि कोई हो, के अधीन इसकी अनुमति दी जा सकती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे किसी भी स्थान पर किसी विशेष दल (दलों) या अभ्यर्थी (यों) का प्रभुत्व/एकाधिकार न हो। इस संबंध में सभी दलों और अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

(iii) यदि सार्वजनिक स्थान पर विज्ञापन जैसे बिल बोर्ड, होर्डिंग इत्यादि प्रदर्शित करने के लिए कोई विशिष्ट स्थान निर्धारित किया गया है और यदि ऐसा स्थान [illegible] को आबंटन के लिए पहले [illegible] पट्टे पर दिया जा चुका है तो [illegible] अधिकारी या संबंधित [illegible] यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन से संबंधित विज्ञापनों के लिए ऐसे विज्ञापन स्थान का उपयोग करने का समान अवसर सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को प्राप्त हो।

आयोग के उपर्युक्त अनुदेश कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाएं।

भवदीय,

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरि. प्रधान सचिव